न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 15/410

श्रीमती पांची बाई पत्नी श्री छीतर लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शांति बाई पत्नी श्री भंवर लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. केवल सिंह आत्मज श्री कन्नू सिंह जाति सिकलीगर निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 शान्तिबाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 90 (ए) एवं 183 के अन्तर्गत ग्राम चींसा तहसील दीगोद की साबिक खसरा नम्बर 285 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 85 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 की 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 की 1.89 हैक्टर कुल 03 किता की 2.66 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया और वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2004 के द्वारा वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 1 शान्ति बाई का वाद स्वीकार करते हुए उसे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 87 रकबा 1.89 हैक्टर का खातेदार घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी पांची बाई का नाम विलोपित किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की । उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट पांची बाई ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

करने का निवेदन किया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.04.2006 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी ।

4. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.04.2006 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट पांची बाई ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत कर जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2012 के द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा को पहले अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का निस्तारण करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर दिया ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अपने निर्णय दिनांक 21.07.2014 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का निर्देश पारित किया ।

6. तत्पश्चात् दिनांक 08.04.2015 को प्रार्थी पांची बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 21.07.2014 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2004 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जिसके अनुसार प्रकरण में दिनांक 21.07.2004 से पूर्व अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को बहाल किया जाना न्यायोचित है । इस कारण वर्तमान में शान्ति बाई पुत्री पन्नी के स्थान पर प्रार्थीया पांची बाई का नाम दर्ज किया जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.08.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति एवं वादग्रस्त आराजी के बेचान, अन्तरण, रहन पर रोक तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट पांची बाई ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भलीभांति स्पष्ट था कि दावा दायरी के पूर्व व दावा दायरी के समय वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रही है और रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2004 के आधार पर उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से अपीलान्ट का नाम हटाकर स्वयं का नाम दर्ज करवाया है और चूंकि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2014 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2004 को गलत रूप से पारित मानकर निरस्त कर दिया गया है जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये [illegible] डेन्ट के नाम को हटाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज करने का आदेश [illegible] बहाल किया जाना आवश्यक था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपीलान्ट [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र बाबत् संशोधन पेश किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि टाइटल में अपील को धारा 223 के स्थान पर धारा 225 अंकित हो गया है । अतः अपील अन्तर्गत धारा 225 के स्थान पर धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किये जाने हेतु संशोधन की अनुमति प्रदान की जावे ।

11. इस प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब पेश किया गया है कि जिसमें निवेदन किया है कि धारा 144 व्यवहार प्रकिया संहिता में पारित आदेश को डिक्री के समकक्ष नहीं माना जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् संशोधन किये जाने निरस्त किया जावे ।

12. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । धारा 02 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार धारा 144 व्यवहार प्रकिया संहिता में पारित निर्णय को डिक्री ही माना गया है । इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार कर टाइटल में संशोधन की अनुमति दी जाती है और इस अपील को अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माना जाता है ।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.07.2014 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.07.2004 को निरस्त किया गया था और प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था । इस निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने से उससे पूर्व की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड को बहाल किया जाना आवश्यक है । यह कथन करते हुए अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से अपास्त किया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार यदि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है तो उस निर्णय को पूर्व की स्थिति के राजस्व रिकॉर्ड को बहाल किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है । इन तथ्यों के आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

14. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश की गई है जबकि धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र [illegible] की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में पेश की जानी चाहिए थी [illegible] कार अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अन्तर्गत आदेश 20 नियम 07 सीपी[illegible] डिक्री नहीं बनाई गयी है । अधीनस्थ न्यायालय में अभी [illegible] है [illegible] निर्णय नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन की आवश्यकता [illegible] । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

ने वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति, बेचान, अन्तरण एवं रहन नहीं करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 बहाल रखा जावे ।

15. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.07.2014 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.07.2004 से रेस्पोडेन्ट शान्तिबाई का दावा डिक्री कर उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया है और अपीलान्ट का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाये जाने का आदेश दिया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2058 से 61 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 231 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी में से अपीलान्ट का नाम हटाया जाकर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 शान्तिबाई का नाम दर्ज करने के आदेश दिये किये गये हैं । इन तथ्यों के आधार पर पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अनुपालना में वादिनी रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है । इस न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.07.2014 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2004 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना न्यायोचित है । अपीलान्ट ने इन्हीं आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है ।

16. जहॉ तक रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता की आपत्ति है कि प्रकरण में अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ राजस्व मण्डल में रिवीजन पेश करनी चाहिए, हम रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 02 में डिकी की जो परिभाषा दी गई है उसमें धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है और डिक्री की अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में मेन्टेनेबल है ।

17. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 निरस्त किया जाता है । धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2004 से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

18. निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/8/18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/410

श्रीमती पांची बाई पत्नी श्री छीतर लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. शांति बाई पत्नी श्री भंवर लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. केवल सिंह आत्मज श्री कन्नू सिंह जाति सिकलीगर निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक 25.08.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रार्थना पत्र संख्याः 23/दावा/1997

श्रीमती पांची बाई पत्नी श्री छीतर लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

——वादी

बनाम

शांति बाई पत्नी श्री भंवर लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा

2. केवल सिंह आत्मज श्री कन्नू सिंह जाति सिकलीगर निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 03.08.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक रविन्द्र खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 निरस्त किया जाता है । धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2004 से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 03.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

3/8/18

(भागवंती जेठवॉनी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested